



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2018/भाद्र 30, 1940

No. 671]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2018/BHADRA 30, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

**सा.का.नि. 909(अ).**—केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2018 है।
- ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में से नियम 2, उप-नियम (1) खण्ड (ट) और (ठ) का लोप किया जाएगा।
- उक्त नियम में, नियम 3 में शब्दों 'राज्य सरकारों की सिफारिश' के पश्चात निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“ गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अनापत्ति के लिए सिफारिशें ”

- उक्त नियम में, नियम 4 में शब्द 'के साथ' के स्थान पर 'संबंधित अधिकारिता वाले विकास आयुक्त के माध्यम से' रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम में, नियम 5 में, -

(i) उप – नियम (2), खण्ड (ख), उप –खण्ड (ii) में शब्दों 'सूचना प्रौद्योगिकी अथवा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं' के पश्चात शब्द 'जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्र (अस्पतालों को छोड़कर),' अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप- नियम (5), खण्ड (क) में 'राज्य और स्थानीय करों' के पश्चात शब्द ' राज्य माल और सेवा कर' , अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियम में, नियम 11 में, -

(i) उप –नियम (2) में, पहले परंतुक में शब्द 'बोर्ड'के स्थान पर शब्द अनुमोदन समिति' रखे जाएंगे।

(ii) उप –नियम (9) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“ (9क) विकासकर्ता विशेष आर्थिक जोन में पदस्थापित विकास आयुक्त एवं सीमाशुल्क अधिकारियों के कार्यालयों के लिए लागू केन्द्रीय लोक कार्य विभाग में मानकों के अनुसार उचित एवं पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करेगा। ”

7. उक्त नियम में, नियम 11 क में, खण्ड (1),-

(i) “सेवा कर” शब्द के स्थान पर “ केन्द्रीय माल और सेवा कर, समेकित माल एवं सेवा कर और राज्य माल एवं सेवा कर ” रखे जाएंगे।

(ii) उप – खण्ड (ख) में, शब्दों “स्टाम्प ड्यूटी” के पश्चात शब्दों ‘ राज्य माल और सेवा कर,’ को अंतः स्थापित किया जाएगा;

8. उक्त नियम में, नियम 12 में,-

(i) उप –नियम (6) में, शब्दों 'माल' के पश्चात शब्दों “और सेवाएं” को अंतः स्थापित किया जाएगा।

(ii) उप – नियम (7) में , शब्दों “ स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर से माल” के स्थान पर शब्दों ‘ यथास्थिति स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर अथवा स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार अथवा लागत लेखाकार,से माल एवं सेवाएं को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. उक्त नियम में, नियम 17, उप –नियम (1) में,-

(i) शब्दों 'पांच प्रतियों में ' का लोप किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-

“(ट) माल और सेवा कर रजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, ”

10. उक्त नियम में, नियम 18 में,-

(i) उप –नियम (2), खण्ड (i) शब्दों “ मुद्रा अर्जन की ” के बाद, “ व मूल्य वृद्धि अर्जन आवश्यकता, जैसा भी मामला हो, रखा जाएगा।;”

(ii) उप –नियम (3) में,-

**(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-**

(क) विशेष आर्थिक जोन से माल का निर्यात प्रवर्तमान निर्यात नीति के अध्यक्षीन होगा यथा उपबंधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) निर्यात एवं आयात मद, 2017 की अनुसूची 2 में अभिप्रेत है, ”

**(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-**

“ (ख) रत्न और आभूषण के लिए, न्यूनतम मूल्य वृद्धि अर्जन आवश्यकता प्रचलित विदेश व्यापार नीति अथवा प्रक्रिया पुस्तिका, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी, ” ;

**(iii) उप – नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-**

“ 4 (क) विशेष आर्थिक जोन में विद्यमान प्लास्टिक अथवा पुरानी वस्त्र इकाइयों के लिए:- ”

(क) उप इकाइयों की स्थापना के लिए ब्रांड बैडिंग एवं अनुज्ञप्ति के विखंडन की अनुज्ञा नहीं होगी और इकाई के सभी संव्यवहार एकल बैंक खाते के माध्यम से विनियमित होंगे;

(ख) ऐसी किसी इकाई के तृतीय पक्षकार निर्यातों को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ग) ऐसी सभी इकाइयां पुराने कपड़ों अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट से उत्पाद बनाने के लिए सुविधाएं स्थापित करेगी;

(घ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र को पुराने कपड़ों की खेप की बिक्री की शत प्रतिशत जांच शुरू की जाएगी।

**(4ख) विशेष आर्थिक जोन में खेप की निकासी से पहले प्रलेखों के सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :-**

(क) इकाई द्वारा आयातित पुराने कपड़ों की प्रत्येक खेप के साथ आधान के संक्रमण रहित एवं सुवासित होने का आयात प्रलेखों के साथ पुराने कपड़ों के मूल देश में अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी अभिकरण से उस निर्यातक अथवा अभिकरण का प्रमाण पत्र साथ लगा होगा जिसमें यह बना था;

(ख) किसी विषाक्त अथवा हानिकारक पदार्थ के मामले में आयातक द्वारा गैर घोषणा के मामले में ऐसे किसी आयातक द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के सुसंगत उपाबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी;

(ग) यह सुनिश्चित करने कि विशेष आर्थिक जोन में पुराने कपड़ों की पुनः प्रसंस्करण इकाइयां अपनी निवल विदेशी विनियम प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के साथ ही अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं की पूरा करेंगी और ऐसी सभी इकाइयों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इकाइयों के वार्षिक आवर्त का नियत प्रतिशत देश से बाहर निर्यात हो;

(घ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र को पुराने कपड़ों की निकासी से पहले, ऐसे पुराने कपड़ों की सभी आयातित खेपों का विशेष आर्थिक जोन प्राधिकारियों द्वारा शत प्रतिशत सत्यापन इकाई के परिसर में किया जाएगा;

**11. उक्त नियम में, नियम 19 में, उप-नियम (2) में,-**

(क) शब्दों “विनिर्माण की मदे ” के पश्चात शब्द “ व इससे संगत भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) निर्यात एवं आयात मदे, 2017” के साथ अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“ परंतु यह और भी कि अनुमोदन समिति उसी कंपनी या फर्म की दो या अधिक इकाइयों के अनुमोदन पत्र के आमेलन हेतु प्रस्तावों को भी अनुमोदित करेगी इस शर्त के अध्यक्षीन होगा कि ये इकाइयों उसी विशेष आर्थिक जोन

में होगी और आमेलन के पश्चात निवल विदेशी विनिमय की गणना के ब्लॉक अवधि पहले उत्पादन आरंभ करने वाली इकाई के उत्पादन शुरू होने की तारीख से की जाएगी और आयकर में छूट की अवधि के लिए पहली इकाई के प्रचालन शुरू होने की तारीख में लागू होगी; ”

(ग) उप – नियम (6) के पश्चात, निम्न लिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

“ (6 क) (1) जो इकाइयां अनुमोदन पत्र की विधिमान्यता का नवीकरण कराना चाहती हैं उन्हें अनुमोदन पत्र खत्म होने की तारीख से दो महीने पहले मालिक अथवा प्रबंधन प्रतिभागी अथवा यदि कंपनी के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक (निदेशकों) अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो कंपनी के निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से संकल्प द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो, द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित आवश्यक प्रलेखों के साथ प्ररूप च 1 में पूरे आवेदन पत्र के साथ विकास आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा । ”

परंतु उक्त दो महीनों की अवधि में आवेदन प्रस्तुत न किए जाने पर ऐसा आवेदन अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उक्त समिति संतुष्ट है कि उक्त अवधि से पहले आवेदन न करने के पर्याप्त कारण थे, ऐसे आवेदन को स्वीकार करने का निदेश दे सकती है।

(2) खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन के मामले में अनुमोदन पत्र पर नवीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(3) विकास आयुक्त उप –नियम (6ख) के अनुसार इकाई के मूल्यांकन के आधार पर प्ररूप च 2 में पांच वर्ष अथवा इससे कम अवधि के लिए अनुमोदन पत्र का नवीकरण कर सकता है।

(6 ख) : अनुमोदन पत्र का नवीकरण निम्नलिखित मानदण्डों के मूल्यांकन पर आधारित होगा, अर्थातः-

(i) आखिरी ब्लॉक में इकाई के निर्यात निष्पादन की तुलना में इकाई द्वारा प्रस्तुत आंशिक निर्यात प्रक्षेपण ।

(ii) प्रक्षेपित रोजगार के संदर्भ के साथ वास्तविक रोजगार सृजन ।

(iii) इकाई की कार्य प्रणाली से संबंधित लागू कानूनों के उल्लंघन के मामले ।

(iv) कानूनी संदाय में चूक के मामले, यदि कोई हो ।

(v) कोई ऐसा कार्यकलाप शुरू करना जो विकास आयुक्त द्वारा मंजूरी अथवा अनुमोदित न हो।

(vi) इस संबंध में विकास आयुक्त अथवा अनुमोदन समिति का निर्णय अंतिम होगा और एक कंपनी द्वारा अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील के मामलों के सिवाए नियम 55 के अनुसरण में इकाई पर बाध्यकारी होगा।

12. उक्त नियम में, अध्याय 4 में, अध्याय के शीर्षक स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्षक को रखा जाएगा, अर्थातः-

“छूट लेने, वापसी और रियायतों सहित प्रचालन की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु निबंधन और शर्तें ”

13. उक्त नियम में, नियम 22 में,

(i) उप-नियम (1) में; -

(क) शब्दों “प्रदान करने ” के पूर्व शब्दों “प्राप्त करने के साथ प्रचालन की अनुज्ञा” को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ii) में शब्द “ठेकेदार” के पश्चात “ उप ठेकेदार सहित” को अंतः स्थापित किया जाएगा।

(ग) खण्ड (iv) में;

**(क)** उप खण्ड (ख) में ;

(क) शब्दों “आयात अथवा उपापन” के पश्चात दोनों स्थानों पर शब्द “माल और सेवा” को रखा जाएगा;

(ख) शब्दों “ पैकिंग सामग्रियों” के पश्चात शब्द “और सेवाएं” अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप -खण्ड (ग) में, शब्दों के “ अतिरिक्त माल ” के पश्चात शब्द “और सेवाएं” अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप -नियम (2) में, शब्दों “ और ऐसे लेखें” के स्थान पर शब्द “हार्ड कॉपी में रजिस्टर के रूप में अथवा समय के उल्लेख के साथ डिजीटल रूप में,” रखे जाएंगे ।

14. उक्त नियमों में, नियम 24 में, उप - नियम (1) में ;

(i) शब्दों “ और शुल्क पात्रता पासबुक क्रेडिट” का लोप हो जाएगा;

(ii) खण्ड (क) में;

(क) शब्दों “निर्यात के निर्धारित बिल” के पश्चात शब्दों “अथवा माल एवं सेवा कर विधियों के अंतर्गत निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट समकक्ष दस्तावेज को अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) परंतुक में शब्दों एवं अंकों “सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995” के लिए शब्दों और अंकों “ सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 2017, जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं ” को रखा जाएगा;

(iii) उप खण्ड (ख) का लोप किया।

(iv) उप -नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

(2) जहां निर्यात पत्र सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 2017 जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, के अंतर्गत वापसी अथवा ऐसी ही किसी स्कीम के लिए किए गए दावों के तहत अधिकथित किए जाते हैं । इकाई अथवा विकासकर्ता विनिर्दिष्ट अधिकारी के पास इसके लिए दावा करेगा और यदि इकाई अथवा विकासकर्ता ऐसे फायदों का दावा नहीं करता है तो ऐसे फायदों के दावों हेतु घरेलू टैरिफ क्षेत्र आपूर्तिकर्ता को इसका दावात्याग दिया जाएगा ।

परंतु पूर्वोक्त फायदा का दावा घरेलू टैरिफ क्षेत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा यथास्थिति माल और सेवाकर के अधिकारिता क्षेत्र अथवा केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क आयुक्त, के पास किया गया हो ।

(3) घरेलू टैरिफ क्षेत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति के लिए सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 2017, जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, के अंतर्गत वापसी अथवा ऐसे ही कोई अन्य लाभ स्वीकार्य होंगे जहां आपूर्ति के लिए संदाय इकाई के विदेशी मुद्रा खाते से किए जाते हैं ।

परंतु घरेलू टैरिफ क्षेत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को माल की आपूर्ति के लिए वापसी अथवा ऐसी ही लाभ स्कीम के बदले में शुल्क की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी यदि भुगतान भारतीय रुपये में हो और विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वापसी अथवा ऐसे ही किसी अन्य लाभ के बदले में शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 2017 जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

## 15. उक्त नियम में, नियम 25 में,-

(क) शब्दों, अंकों एवं कोष्ठकों के स्थान पर “ केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम,1992 और वित्त अधिनियम,1994 (सेवा कर के संदर्भ में) ” के लिए शब्द,अंक एवं कोष्ठक “ केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (2017 का 13), राज्य माल और सेवा कर अधिनियम,संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (2017 का 14) और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम,1992 (1992 का 22) रखे जाएंगे ।

(ख) परंतुक में शब्दों “ विदेशी मुद्रा अर्जन ” के पश्चात “अथवा निर्धारित मूल्य वृद्धि,” रखे जाएंगे ;

## 16. उक्त नियम में, नियम 26 में

(i) चौथे परंतुक में शब्दों “ लौह अयस्क” के स्थान पर शब्द “अथवा किसी भी अयस्क की घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आपूर्ति” रखे जाएंगे।

(ii) चौथे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुकों को रखा जाएगा, अर्थात :-

‘परंतु यह भी कि विशेष आर्थिक जोन इकाइयों को निषिद्ध मदों के निर्यात की अनुमति होगी यदि वे इसके लिए कच्ची सामग्री का आयात करती है किंतु ऐसा प्रत्येक मामला अनुमोदन के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा:

परंतु यह और भी कि आयात के लिए जो मदें निषिद्ध हैं, विशेष आर्थिक जोन इकाइयां को इनके आयात की अनुमति होगी यदि वे इससे बने माल का निर्यात करते हैं ‘ किंतु ऐसे मामले अनुमोदन के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे।’

## 17.उक्त नियमों में नियम 27 में

(i) उप – नियम (1) में

(क) “ जैव-प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट” के पश्चात “ अथवा भांडागार ” शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ख) पहले परंतुक में “ ठेकेदारों” शब्द के पश्चात “ उप – ठेकेदारों सहित” अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ग) तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुकों को अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात:-

परंतु यह और भी कि विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या ‘इकाई’ को घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट द्वारा निषिद्ध मदों की आपूर्ति की जा सकती है बशर्ते घरेलू टैरिफ क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या यूनिट को अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना या यूनिट की स्थापना के लिए ऐसी मदों की आपूर्ति कर सकता है और यह अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष आर्थिक जोन को रेफ्रिजेशन, कटिंग, पोलिश और ब्लेडिंग अतिरिक्त विनिर्माण प्रचालनों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी कर सकता है:-

परंतु यह और भी कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन को की गई आपूर्तियों पर, निर्यात शुल्क लगने वाली मदें होने की स्थिति में, निर्यात शुल्क संदाय होगा।

(ii) उप – नियम (3), -

(क) “के आयात” शब्द के पश्चात “ एवं घरेलू उपापन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) “ बोर्ड” शब्द के स्थान पर “एवं घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपापन अनुमोदन समिति” ।

18 उल्लिखित नियम 30 में, -

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

(i) किसी इकाई या विकासकर्ता को माल या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले घरेलू टैरिफ क्षेत्र प्रदायकर्ता द्वारा धारा 16 के उपाबंधों के एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) के अनुसार कर-मुक्त होने की स्थिति में विनिर्माता या प्रदायकर्ता द्वारा निर्यात के लिए संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून में निर्धारित दस्तावेजों के आवरण पर या तो कोई बंधपत्र या विधिक परिवचन अथवा माल व सेवा कर विधि या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत अनुमत प्रक्रिया के तहत, अथवा छूट के दावे के तहत शुल्क या भुगतान किए गए माल की निकासी कार्रवाई की जाएगी ।

(ख) उप -नियम (2) में

(i) “ माल” शब्द के पश्चात “ या सेवाएं” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ii) “ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क” शब्दों के स्थान “ माल और सेवा कर” शब्द रखे जाएंगे।

(iii) अक्षरों और अंकों “ एआरई-1, के स्थान पर नियम 30 के उप-नियम-(1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ग) उप-नियम (3),(4) और (7) में, अक्षरों और अंकों के स्थान पर “ ए आर ई-1” के स्थान पर नियम 30 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों " शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(घ) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, यथा:-

“ (4) समस्त माल के प्रवेश-पत्र सहित उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रतिलिपि या निर्यात बीजक की एक प्रति यथा उपयुक्त को निर्यात का प्रमाण माना जाएगा और यूनिट और विकासकर्ता द्वारा माल और सेवा कर अथवा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, जिसके पास घरेलू टैरिफ क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र हो, को पैंतालीस दिन के भीतर यह प्रवेश-पत्र अग्रेषित करना होगा, ऐसा न कर पाने की स्थिति में माल और सेवा कर अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, यथा स्थिति, घरेलू टैरिफ क्षेत्र प्रदायकर्ता से कर या शुल्क की माँग करेगा।

(ङ.) उप-नियम (5), (8), (9) का लोप किया जाएगा।

(च) उप-नियम (11) में शब्दों “प्रतिअदायगियो” के बाद “ ऐसे अन्य फायदों अथवा” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

19. उक्त नियमों में नियम 31 और 32 का लोप किया जाएगा।

20. उक्त नियमों में, नियम 34 में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, यथाः,

“ यदि कोई यूनिट आयातित माल ओर सेवाओं या घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपापनों को उपयोग करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में, -”

(i) माल का निर्यात करेगा , या

(ii) इसे अन्य यूनिट अथवा निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या जैव प्रौद्योगिकी पार्क को बिना शुल्क अदायगी के विक्रय कर दिया जाएगा।

(iii) एक निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या जैव प्रौद्योगिकी पार्क को विक्रय कर दिया जाएगा।

(क) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के अधीन यथा लागू एकीकृत माल व सेवा कर के संदाय होने पर; और

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 15) की प्रथम अनुसूची में लागू सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की धारा-3 के उप-धारा (1), (3) और (5) के तहत अतिरिक्त करों, यदि कोई हो, के संदाय के बिना और ऐसी बिक्री राजस्व विभाग और द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) और (9) के अन्तर्गत लगाए गए एकीकृत करों ओर प्रतिकर फीस के बिना ये छूटें लागू होंगी ;

(iv) घरेलू टैरिफ क्षेत्र क्रेता द्वारा आयात अनुज्ञप्ति जमा कराने के आधार पर लागू शुल्कों और करों का संदाय होने पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र द्वारा माल का निपटान।

21. उक्त नियमों में, नियम 37 में, पार्श्व-शीर्षक में “ या सेवाओं” शब्दों को लोप किया जाएगा।

22. उक्त नियम में, नियम 41 में,

(i) उप-नियम (1), के खंड (ज) में “ केन्द्रीय उत्पाद – शुल्क अधिकारी” के पश्चात “ या केन्द्रीय शुल्क अधिकारी” अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(ग) विदेशों में उप-संविदा की दशा में या तो माल यूनिट को लौटा दिया जाए या उसी देश के या किसी तृतीय देश के क्रेताओं को विक्रय किया जा सकेगा।”

23. उक्त नियमों में, नियम 42 में,

(i) उप-नियम (i) में, खण्ड (ii) में उप-खण्ड (ख) में शब्द “ केन्द्रीय उत्पादशुल्क” के स्थान पर “ माल और सेवा कर” रखा जाएगा।

(ii) उप-नियम (2) में, -

(क) खण्ड (i) में “ केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग में” शब्दों के स्थान पर “ माल एवं सेवा कर के अधीन” सम्मिलित किया जाए।

(ख) खण्ड (v) में, परंतुक का लोप किया जाएगा।

(iii) उप-नियम (3) में शब्दों “शुल्क के भुगतान पर इनकी निकासी इस प्रकार की जा सकेगी मानो उक्त अपशिष्ट या स्क्रेप या अवशिष्ट की यूनिट द्वारा निकासी की गई हो या यदि उप संविदाकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु पंजिकृत है तो उसे क्षेत्रीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की उपस्थिति में उप संविदाकार के परिसर में नष्ट किया जा सकेगा।” के स्थान पर शब्दों “आयातों पर लागू शुल्क के समान राशि के भुगतान पर उक्त अपशिष्ट या स्क्रेप या अवशिष्ट की यूनिट द्वारा निकासी की गई हो या उप संविदाकार माल और सेवा कर हेतु पंजिकृत हो तो उसे क्षेत्रीय माल और सेवा कर अधिकारी की उपस्थिति में उप संविदाकार के परिसर में नष्ट किया जा सकेगा।” रखा जाएगा।



24. उक्त नियमों में, नियम 43 में, खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -  
“परंतु”

(i) विशेष आर्थिक जोन के केवल अस्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों, यात्रा करने वाले कर्मचारियों और कार्यक्षेत्र से दूर कर्मचारियों को ही घर से अथवा विशेष आर्थिक जोन के बाहर क स्थानों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा दी जा सकती हैं, यथा:-

(क) व्यक्ति विशेष आर्थिक जोन यूनिट का कर्मचारी होगा।

(ख) व्यक्ति द्वारा विशेष आर्थिक जोन यूनिट की परियोजना से संबंधित कार्य किया जाना चाहिए।

(ग) विशेष आर्थिक जोन इकाई जिसमें कर्मचारी कार्यरत है उस यूनिट द्वारा तैयार उत्पाद का निर्यात राजस्व अथवा सेवाएं सुनिश्चित करेगा और किसी भी दशा में घर से कार्य द्वारा सेवाओं का निर्यात विशेष आर्थिक जोन के बाहर से नहीं किया जाएगा।

(ii) विशेष आर्थिक जोन यूनिट में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा इकाइयों द्वारा मद (i) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अपना कार्य किया जाएगा।

(iii) घर से कार्य करने के लिए विशेष आर्थिक जोन यूनिट कर्मचारी और विशेष आर्थिक इकाई की परियोजना से संबंधित कार्य के बीच सह-संबंध स्थापित करने के प्रयोजन के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप और संरक्षित संयोजकता यथा वीपीएन, वी.डी.आई इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी।

(iv) यदि कोई कर्मचारी विशेष आर्थिक जोन की परियोजना का भाग नहीं रहता तो उस कर्मचारी को संबंधित विशेष आर्थिक जोन यूनिट से अनटैग (हटा) कर दिया जाएगा और यूनिट नियम 70 के उप नियम (2) के अनुसार विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रारूप 'ट' से जारी किए गए स्थायी पहचान-पत्र का अभ्यर्पण कर देगा।

(V) दूरसंचार विभाग के साथ अन्य सेवा-प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत विशेष आर्थिक जोन यूनिटों के लिए घर से कार्य करने का लाभ उठा रहे विभाग द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए जारी समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देश का विशेष आर्थिक जोन यूनिट द्वारा पालन किया जाएगा।

25. उक्त नियमों में नियम 46 में,

(i) उप-नियम (i) में, -

(क) खण्ड (क) के परन्तुक में, “पच्चीस हजार अमरीकी डालर तक के निर्यात मूल्य या ऐसे निर्यात मूल्य के लिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए”। शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “ ऐसे निर्यात मूल्य के लिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (ग) में “ यूनिट द्वारा स्व-प्रमाणन” शब्दों के पश्चात “ तथापि यदि भारत से व्यापारिक वस्त्रों के निर्यात के स्कीम से व्यापार निर्यात प्रसुविधा का दावा किया जाता है तो निर्यात माल का परीक्षण केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षण मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा और इसे” अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम – (11) में “गुलाबी” शब्द का लोप किया जाएगा।

(iii) उप – नियम (12), में, -

(क) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-

“(i) प्राप्त करने वाली निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट के घरेलू उपभोग के लिए पाँच प्रतियों में बीजक, सूचना की प्रति क्षेत्रीय सीमा-शुल्क अधिकारी को सीमा शुल्क विनिमय 2017 के नियम-5 (करों की रियायती दरों पर माल का आयात) और प्राधिकृत अधिकारी पैकिंग सूची के साथ साथ अनुमोदन पत्र की प्रति और बांडिंग लाइसेंस भी प्रस्तुत करेगा।”

(ख) खण्ड (iii) में “ पुनःभाण्डागारण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा” शब्दों के स्थान पर “राजपत्र में का.आ. 2566 (अ) तारीख 29 जुलाई, 2016 द्वारा अधिसूचना सं. 44/2016-सीमा शुल्क तारीख 29 जुलाई, 2016 ” के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क द्वारा अधिकथित प्रक्रिया की अनुपालना करेगा और उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेज।” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(iv) उप-नियम (13), में,

(क) ‘ केन्द्रीय उत्पाद’ शब्द, जहाँ कहीं हों, के स्थान पर “राज्य कर अधिकारी या केन्द्रीय कर अधिकारी” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (ii) में, “भाण्डागारण प्रविष्टि पत्र” शब्दों के स्थान पर “घरेलू उपभोग के लिए प्रविष्टि - पत्र ” शब्द रखे जाएंगे।

(ग) खण्ड (iii) में “ पुनःभाण्डागारण प्रमाण-पत्र” शब्दों के स्थान पर “ नियम 46 के उप-नियम (12) के खण्ड (iii) के अधीन अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को लिखा जाए।

26. उक्त नियमों में, नियम 49 में “शुल्क” शब्द के पश्चात “ या एकीकृत माल और सेवा कर ” अंतःस्थापित किया जाएगा ।

27. उक्त नियमों में, नियम 50 में ‘ शुल्क’ शब्द के पश्चात “ और एकीकृत माल और सेवा कर” अंतःस्थापित किया जाएगा ।

28. उक्त नियमों में, नियम 53 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा:- अर्थात,-

“ 53 शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन – यूनिट धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगी जिसकी गणना उत्पादन शुरू होने से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए समग्र रूप से निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार की जाएगी:-”

$$\text{धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा} = \text{क} - \text{ख} > 0$$

जहाँ,-

क निर्यातों का बोर्ड पर्यन्त निशुल्क मूल्य हैं जिसमें यूनिट द्वारा नेपाल और भूटान से पूर्णतः परिवर्तनीय मुद्रा द्वारा निर्यात और विशेष आर्थिक जोन में उनके उत्पादों की आपूर्ति का निम्नलिखित मूल्य, तथा सेवाओं (कारोबारी माल के सिवाय) का मूल्य भी है, अर्थात:-

(क) अग्रिम प्राधिकार के या वार्षिक आवश्यकताओं के लिए अग्रिम प्राधिकार या विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत शुल्क छूट या माफी स्कीम के अधीन कर मुक्त आयात प्राधिकार के संबंध में माल की आपूर्ति;

(ख) विदेश व्यापार नीति के अधीन पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन स्कीम के अधीन लाइसेंस धारकों को पूंजीगत माल की आपूर्ति;

(ग) बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों द्वारा या उन अभिकरणों की प्रक्रियाओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित निधियों, जिनमें सीमा शुल्क शामिल किए बिना निविदा मूल्यांकन के लिए विधिक करारों में व्यवस्था है, द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति;

(घ) किसी परियोजना या प्रयोजन हेतु जिनके संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अधीन सीमा-शुल्क मुक्त माल के आयात की अनुमति दी हो परन्तु उक्त अधिसूचना में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन आपूर्ति की गई हो।

(ङ.) संयुक्त राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके राजकीय कार्यों या उक्त संयुक्त राज्यों अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति की गई हो और ऐसे संगठनों की सूची और ऐसी आपूर्तियों के लिए मान्य स्थितियाँ जिन्हें समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया हों,

(च) परन्तु यह और कि वे नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को माल की आपूर्ति विदेश व्यापार नीति में विहित शर्तों के अनुसार हों;

(छ) विदेश व्यापार नीति के अधीन माल की निःशुल्क आयात की विशेष हकदारी के अधीन आपूर्ति;

(ज) विशेष आर्थिक जोन के भीतर प्रदान की गई सेवा में या ऐसी सेवाएं जो भारतीय रूप में प्रदान की गईं जो हों कि अन्यथा भारतीय रूप रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में देय मानी गई हो, सहित सेवा यूनितों द्वारा सेवाओं का निर्यात;

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी करार की मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक मदें यथा मॉनीटरों के लिए रंगीन डिस्प्ले ट्यूबें और रंगीन मॉनीटरों के लिए डिफ्लेक्शन संघटक या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य मदों की आपूर्ति,

(ञ) उसी या अन्य विशेष आर्थिक जोन या निर्यातोन्मुख यूनित अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर – प्रौद्योगिकी पार्क यूनितों अथवा जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनित में अन्य यूनितों और विकासकर्ताओं को आपूर्ति; परन्तु ऐसे माल और सेवाएं, ऐसी यूनितों और विकासकर्ताओं के लिए आयात या उपापन के लिए अनुज्ञेय हों।

(ट) किसी मुक्त व्यापार एवं भाण्डागारण जोन की यूनित द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा पर माल की आपूर्ति, स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि खण्ड (ज) के अंतर्गत आपूर्तियाँ यथा लागू उपापन प्रमाण – पत्र पर की जाएंगी और खण्ड (घ) से (छ) के अंतर्गत आपूर्तियाँ केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संबंधित शुल्क छूट के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार की जाएगी।

ख: इसमें निम्नलिखित की रकम शामिल होंगी-

(क) सुसंगत अवधि के दौरान प्राधिकृत प्रचालनों के लिए प्रयुक्त सभी आयातित अथवा देशी निर्विष्टियों की लागत बीमा और भाड़े मूल्य की कुल रकम तथा समुद्र बीच आधार पर क्रय किए गए माल सहित भले ही इसके लिए भुगतान भारतीय रूप में किया गया हो और निर्यात कमीशन, रायल्टी, शुल्क, लाभांशों पहले

पांच वर्षों की अवधि के दौरान निर्यात कमीशन, रायल्टी, शुल्क, लाभांशों, बाह्य वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज या कोई अन्य प्रभारों के रूप में से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी संदामों का मूल्य

(ख) अन्य यूनिट या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट से या बांडेड भाण्डागारों से प्राप्त या भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से उपाप्त माल या नाम निर्दिष्ट अभिकरणों से उपाप्त बहुमूल्य धातुओं का मूल्य

(ग) शुल्क मुक्त आयातित या किसी पट्टादाता कम्पनी से पट्टे पर लिए गए, निशुल्क और यूनिट के पास बने रहने की अवधि के लिए ऋण उधारों पर या अंतरण पर प्राप्त पूंजीगत माल के यथानुपात लागत बीमा भाड़े सहित माल और सेवाओं का लागत बीमा भाड़ा मूल्य:

स्पष्टीकरण:- खंड (क) के प्रयोजनों के लिए “ निविष्टियों” से कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती, संघटक, खपत योग्य वस्तुएं, पुर्जे और पैकेजिंग सामग्री अभिप्रेत है।

(घ) शुद्ध विदेशी मुद्रा की वार्षिक संगणना हेतु आयातित पूंजीगत माल के मूल्य और विदेशी तकनीकी जानकारी फीस के एकमुश्त संदाय को प्रथम वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 10% की दर से परिशोधित किया जाएगा।

(ग) रत्न और आभूषण इकाईयां मौजूदा विदेश व्यापार नीति अथवा प्रक्रियाओं की हैंड बुक में निर्धारित न्यूनतम मूल्य वृद्धि प्राप्त करेंगी परन्तु यह और कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति के लिए सेवा इकाई के रूप में कार्यरत नामनिर्दिष्ट एजेंसियाँ केवल सकारात्मक निवल विदेश विनिमय की, आवश्यकता के अधीन होंगे; और

(घ) रत्न और आभूषण इकाईयां मौजूदा विदेश व्यापार नीति या प्रक्रियाओं की हैंड बुक में निर्धारित न्यूनतम मूल्य वृद्धि प्राप्त करेंगी और इसकी गणना निमानुसार की जाएगी :

$$\text{मूल्य वृद्धि} = \frac{\text{क-ख}}{\text{ख}} \times 100$$

ख

जहां; -

क = वसूल किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त मूल्य या प्राप्त किए गए प्रदाय का सड़क और रेल पर भाड़ा मूल्य

ख = निर्यात उत्पाद में अंतर्विष्ट सोना या चांदी या प्लेटिनम जैसी निविष्टियों (जिसके अन्तर्गत घरेलू रूप से उपाप्त भी है) रत्नों आदि जैसे अन्य मदों के मूल्य के साथ अनुज्ञेय अपशिष्ट सहित, का मूल्य। जहां कहीं सोना उधार पर अभिप्राप्त किया जाता है वहाँ मूल्य के अन्तर्गत विदेशी प्रदायों के लिए निःशुल्क विदेशी मुद्रा में संदत्त ब्याज भी होगा।

परन्तु जहां कोई इकाई प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों या वास्तविक कठिनाई के कारण जो इकाई के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो के कारण, शुद्ध विदेशी विनिमय को प्राप्त करने में असमर्थ है शुद्ध विदेशी विनिमय उपार्जन की गणना के लिए पांच वर्ष के ब्लॉक अवधि, को मामला - दर - मामला आधार पर, बोर्ड के अनुमोदन द्वारा और आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

29 उक्त नियमों में, नियम 54 में उप नियम (2) में “ शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन ” शब्दों के पश्चात शब्द या नियम 53 में यथा “विनिर्दिष्ट नियत मूल्यवर्धन” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

30. उक्त नियम में, नियम 74 में, उपनियम (5) के पश्चात, निम्नलिखित उप नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(6) विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर जाने के विकल्प लेने वाली इकाई प्ररूप 'ठ' में कानूनी वचनबंध निष्पादित करेगी।

31. उक्त नियमों में, नियम 74 क में खंड (i) शब्दों में “भूमि का पट्टा” “या मानक डिजाइन कारखाना” शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

32. उक्त नियम में, नियम 75 में निम्नलिखित परन्तुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“परन्तु विशेष आर्थिक क्षेत्र के सभी खेप जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अधीन होंगे।”

33. उक्त नियम में, नियम 79 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“80 यदि कोई विशेष आर्थिक जोन यूनिट, सद्भावना पूर्ण चूक के मामले में, न्यूनतम निर्धारित शुद्ध विदेशी विनियम या विशिष्ट मूल्य वर्धन प्राप्त करने में विफल हो जाता है, तो ऐसी कमी को यूनिट द्वारा पोत पर्यन्त अनुमोदन मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने के पश्चात नियमित किया जा सकेगा।”

34. उक्त नियम में, प्ररूप च के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :

" प्ररूप च 1

अनुमोदित नवीनीकरण आवेदन पत्र प्ररूप

(नियम 19 (6क) (1) देखिए )

**नियम 19 के उप नियम (6क) के अधीन पांच वर्ष के ..... ब्लॉक के लिए अनुमोदन पत्र नवीनीकरण के लिए आवेदन**

**भाग 1**

क्रम संख्या	विवरण	
1	इकाई का नाम और विशेष आर्थिक क्षेत्र में पूरा पता	
2	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता	
3	टेलीफोन / फैक्स संख्या:	
4	स्थायी ई-मेल पता	
5	मूल अनुमोदन पत्र संख्या और तारीख	
6	अनुमोदन पत्र नवीकरण की तारीख, यदि कोई हो।	दिन /मास / वर्ष
7	उत्पादन आरंभ होने की तारीख	दिन /मास / वर्ष
8	अनुमोदन पत्र की समाप्ति की तारीख	दिन /मास / वर्ष
9	SEZonline-ndml.com में दर्ज अनुमोदन पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख और आईडी	
10	स्थायी आयकर खाता संख्या	
11	आवेदन फर्म का गठन (उचित प्रविष्टि पर चिन्ह लगाए)	पब्लिक लिमिटेड / प्राइवेट लिमिटेड / भागीदारी / स्वामित्व / अन्य

**भाग II**

इकाई की गतिविधि		विद्यमान	नवीनीकृत अवधि के लिए प्रस्तावित
1. विनिर्माण की वस्तु / सेवा गतिविधि (उप - उत्पाद / सह-उत्पादों सहित)			
2. पूंजीगत वस्तुओं में निवेश (रुपये लाखों में)	स्वदेशी		
	आयात		
3. कच्चे माल में निवेश (रुपये लाखों में)	स्वदेशी		
	आयात		
4. रोजगार	पुरुष		
	महिला		

**वर्तमान ब्लॉक के लिए फोरेक्स मुद्रा तुलनपत्र रूप (लाखों में)**

क्रम सं.	मद	पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पांचवा	कुल
1.	पहले पांच वर्षों के निर्यातों का पोत पर्यन्त मूल्य						
2.	* पहले पांच वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा बहिर्गमन						
3.	शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन पहले पांच वर्षों (1 - 2) के लिए						

**फोरेक्स तुलन पत्र रूप (लाखों में) अगले ब्लॉक के लिए प्रस्तावित**

क्रम सं.	मद	पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पांचवा	कुल
1.	पहले पांच वर्षों के निर्यातों का पोत पर्यन्त मूल्य						
2.	* पहले पांच वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा बहिर्गमन						
3.	शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन पहले पांच वर्षों (1) - (2) के लिए						

\* मशीनरी के आयात के बीमा और भाडा लागत मूल्य, कच्चा माल, संघटक, पुर्जे, पैकिंग, सामग्री और लाभांश तथा लाभों की प्रत्यर्पित धनराशि, रॉयल्टी, एकमुश्त जानकारी शुल्क, डिजाइन और ड्राइंग शुल्क, विदेशी तकनीशियनों

को भुगतान, विदेश में भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए भुगतान, निर्यात पर कमीशन, बाह्य वाणिज्यिक उधारी पर व्याज, आस्थगित भुगतान क्रेडिटपर व्याज और कोई अन्य भुगतान, विदेशी मुद्रा बहिर्गमन में शामिल होगा।

**स्थान:**

**तारीख:**

आवेदक का हस्ताक्षर

पद नाम

दूरभाष सं.:

मोबाइल सं. :

ईमेल पता:

### प्ररूप च 2

इकाई के लिए अनुमोदन के पत्र के नवीनीकरण के लिए रूप विधान  
(नियम 19 (6 क) (3) देखिए)

विकास आयोग का कार्यालय, ..... विशेष आर्थिक क्षेत्र, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार  
फा. सं. तारीख :

सेवा में,

इकाई का नाम और पता

**विषय: सेज योजना के अधीन निरंतर संचालन के लिए ..... विशेष आर्थिक क्षेत्र में मेसर्स  
.....को जारी अनुमोदन पत्र के नवीनीकरण के संबंध में।**

महोदय,

आपके तारीख..... के आवेदन पत्र सं. ....के संदर्भ में..... राज्य में स्थित ..... विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्राधिकृत संचालन अर्थात ....., करने के लिए मेसर्स ..... को जारी अनुमोदन पत्र संख्या ..... तारीख .....की वैधता को 5 वर्ष के ..... ब्लॉक के लिए अर्थात तारीख ..... से तारीख .....तक बढ़ाया जाता है। अनुमोदन के मूल पत्र में निर्धारित सभी अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी। अनुमोदन पत्र के नवीकरण के लिए आपका आवेदन विचाराधीन अनुमानों के आधार पर माना गया है और इसे नीचे दिया गया है।

1.	पहले पांच वर्षों के निर्यातों का पोत पर्यन्त मूल्य	पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पांचवा	कुल
2.	* पहले पांच वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा बहिर्गमन						
3.	शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन पहले पांच वर्षों (1) - (2) के लिए						

2. विस्तारित अवधि के संबंध में आपको इस कार्यालय के साथ एक नया बॉन्ड और कानूनी वचन निष्पादित करने की आवश्यकता है।

3. कृपया इस पत्र को उल्लिखित अनुमोदन के मूल पत्र के साथ संलग्न रखें और रसीद प्राप्त करें।

भवदीय

(विकास आयुक्त)

..... विशेष आर्थिक क्षेत्र

प्रतिलिपि:

1. निर्दिष्ट अधिकारी, ..... विशेष आर्थिक क्षेत्र
2. डेटाबेस प्रबंधक

\* मशीनरी के आयात के बीमा और भाडा लागत मूल्य, कच्चा माल, संघटक, पुर्जे, पैकिंग, सामग्री और लाभांश तथा लाभों की प्रत्यर्पित धनराशि, रॉयल्टी, एकमुश्त जानकारी शुल्क, डिजाइन और ड्राइंग शुल्क, विदेशी तकनीशियनों को भुगतान, विदेश में भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण के लिए भुगतान, निर्यात पर कमीशन, बाह्य वाणिज्यिक उधारी पर ब्याज, आस्थगित भुगतान क्रेडिटपर ब्याज और कोई अन्य भुगतान, विदेशी मुद्रा बहिर्गमन में शामिल होगा।

35. उक्त नियम में प्ररूप "ट" के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप को अंत : स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

### "प्ररूप ठ"

विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना से यूनिट को बाहर होने के लिए कानूनी वचनबद्ध प्ररूप

#### ( नियम 74 (6) देखें)

.....विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स ..... को ..... के विनिर्माण और निर्यात के लिए तारिख .....अनुमोदन पत्र/ अनुमति पत्र संख्या ..... द्वारा प्रदान किए गए थे जो अन्य बातों के साथ-साथ शर्त के अधीन कि वे विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना के उपबंधों के अनुसार संचयी आधार पर सकारात्मक शुद्ध विदेशी विनिमय प्राप्त करेंगे।

इकाई ने उल्लिखित प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए ..... विशेष आर्थिक क्षेत्र, विकास आयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के समक्ष .....पर विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्ररूप ज में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 22 के अनुसार विधिक वचनबद्ध दर्ज किया है।

उपरोक्त प्रतिबद्धताओं के लिए इकाई का वास्तविक निष्पादन निम्नलिखित है: -

वर्ष	आयात रुपये (लाखों में)		निर्यात रुपये (लाखों में)
	पूँजीगत वस्तुएं	कच्चा माल	

इकाई ने विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना छोड़ने के लिए आवेदन दर्ज किया जो कि अन्य बातों के साथ – साथ इस शर्त के अधीन था कि अनुमोदन की शर्तों को पूरा नहीं करने के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियम) के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (1922 का 22 ) के अधीन उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित दंड के अधीन है।



- विशेष आर्थिक क्षेत्र से निकलने के ध्यान में रखते हुए मैं/हम ..... निम्नलिखित वचन देते हैं।
- (i) कि मैं / हम \_\_\_\_\_ अनुमोदन पत्र / स्वीकृति पत्र के शर्त और निबंधनों के पूरा करने पर विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 22 (1922 का 22) के अधीन विकास आयुक्त द्वारा अधिरोपित जो भी दंड हो का भुगतान करूंगा/ करेंगे।
- (ii) कि मैं/हम ..... यदि उल्लिखित इकाई के लिए लाभ प्राप्त किए गए पाए जाने पर, इस संबंध में निर्धारित समय – सीमा में बिना किसी आपत्ति या विरोध के ब्याज के साथ कर / शुल्क का भुगतान किसी कानूनी अभिकरण को करूंगा / करेंगे।
- (iii) कि मैं / हम \_\_\_\_\_ दंडों, यदि कोई हों, के भुगतान के तरीके और समय सीमा जिसके भीतर दंडों का विकास आयुक्त को भुगतान किया जाना है, के तरीके का बिना किसी आपत्ति अथवा विरोध के पालन करूंगा/करेंगे।

(इकाई का पूर्ण विवरण और पता)

इसके साक्ष्य स्वरूप, इसमें इकाई ने इस .....वर्ष के .....दिन निम्नलिखित की उपस्थिति में इस करार पर हस्ताक्षर, मुहरबंद और सुपुर्द किया :

नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

2. नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

राष्ट्रपति की ओर से मेरे द्वारा स्वीकार किया गया।

उप/संयुक्त विकास आयुक्त, \_\_\_\_\_ विशेष आर्थिक क्षेत्र "

[फा. सं. के - 43013 (12) /1/2017-यूएस (जीएस) –डीओसी का कार्यालय]

बिद्युत बिहारी स्वैन, अपर सचिव

**टिप्पण :** - मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3, उप खंड (i) सा.का.नि.सं. 54 (अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 के द्वारा प्रकाशित की गई और अंतिम बार सा.का.नि.सं. 585 (अ) तारीख 13 जून, 2017 द्वारा संशोधित की गई।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th September, 2018

**G.S.R. 909(E).**—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2018.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), clauses (k) and (l) shall be omitted.
3. In the said rules, in rule 3, after the words “State government’s recommendation”, the following words shall be inserted, namely:-  
“, recommendation for National Security Clearance as per guidelines issued by the Ministry of Home Affairs”.
4. In the said rules, in rule 4, for the word “along”, the words “through the jurisdictional Development Commissioner concerned along” shall be substituted.
5. In the said rules, in rule 5, -  
(i) in sub-rule (2), in clause (b), in sub-clause (ii), after the words “for setting up a Special Economic Zone for Information Technology or Information Technology Enabled Services”, the words “Bio-technology and Health Sector (excluding hospitals),” shall be inserted;  
(ii) in sub-rule (5), in clause (a), after the words “State and local taxes”, the words “State Goods and Services Tax,” shall be inserted.
6. In the said rules, in rule 11, -  
(i) in sub-rule (2), in the first proviso, for the words “Board”, the words “Approval Committee” shall be substituted;  
(ii) after sub-rule (9), the following sub-rule shall be inserted, namely: -  
“(9A) The Developer shall ensure sufficient and adequate space, as per the applicable Central Public Works Department norms, for the Office of Development Commissioner and Customs Officers posted in the Special Economic Zone.”.
7. In the said rules, in rule 11A, in clause (1), -  
(i) for the words “Service Tax”, the words “Central Goods and Services Tax, Integrated Goods and Services Tax and State Goods and Services Tax” shall be substituted;  
(ii) in sub-clause (b), after the words “stamp duty”, the words “State Goods and Services Tax,” shall be inserted.
8. In the said rules, in rule 12, -  
(i) in sub-rule (6), after the words “utilization of goods”, the words “and services” shall be inserted;  
(ii) in sub-rule (7) for the words “goods from an Independent Chartered Engineer” the words “goods and services from an Independent Chartered Engineer or Independent Chartered Accountant or Cost Accountant as the case may be” shall be substituted.
9. In the said rules, in rule 17, in sub-rule (1),-  
(i) the words “in five copies” shall be omitted;  
(ii) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-  
“(k) Goods and Services Tax registration certificate;”
10. In the said rules, in rule 18,-  
(i) in sub-rule (2), in clause (i), for the words and figures “as provided in rule 53”, the words and figures “, value addition earning requirement, as the case may be, as provided in rule 53” shall be substituted;  
(ii) in sub-rule (3),-  
(A) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-  
“(a) export of the goods from Special Economic Zones shall be subject to export policy in force, as provided in Schedule 2 to the Indian Trade Classification (Harmonised System) of Export and Import Items, 2017;”;  
(B) for clause (b), the following clause, shall be substituted, namely:-  
“(b) for Gems and Jewellery, the minimum Value Addition earning requirement shall be as specified in the prevailing Foreign Trade Policy or Handbook of Procedures, as amended from time to time.”;

(iii) after sub-rule (4), the following shall be inserted, namely:-

“(4A) for existing plastic or used clothing Units in Special Economic Zones:-

(a) Broad banding and splitting of license for setting up of sub-Units shall not be allowed and all transactions of a Unit shall be regulated through a single bank account;

(b) no third party exports shall be allowed by any such Unit;

(c) all such Units shall set up facilities to make products out of used clothing or plastic waste;

(d) 100 per cent. inspection of the consignment of used clothing sale to Domestic Tariff Area shall be under taken.

(4B) Procedure to be followed for verification of documents prior to clearing the consignment in Special Economic Zone :- (a) Each consignment of used clothing imported by the Unit shall be accompanied with certificate from exporter or agency in which it was generated regarding dis-infection and fumigation of the containers from an agency licensed in the country of origin of worn clothing along with import documents;

(b) in case of mis-declaration by any importer in regard to any toxic or hazardous substances, action as per the relevant provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) shall be taken against such importer;

(c) to ensure that used clothing re-processing Units in Special Economic Zones fulfil their export obligations in addition to meeting their Net Foreign Exchange obligation and all such Units shall be required to ensure that certain minimum percentage of the Units annual turnover is physically exported out of the country;

(d) before the clearance of used clothes to Domestic Tariff Area, all imported consignments of such used clothes shall be subject to 100 per cent. scrutiny at the premises of the Unit by Special Economic Zone authorities.”.

11. In the said rules, in rule 19, in sub-rule (2), -

(a) after the words “shall specify the items of manufacture”, the words “along with the corresponding Indian Trade Classification (Harmonised System) of Export and Import Items, 2017” shall be inserted;

(b) after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the Approval Committee may also approve proposals for merger of Letters of Approval of two or more Units of the same company or firm subject to the condition that these Units fall within the same Special Economic Zone and after merger, block period for calculation of Net Foreign Exchange shall be from the date of commencement of production of the Unit which commenced operation first and the Income tax exemption period shall be considered from the date of start of operation of the first Unit.”;

(c) after sub-rule (6), the following shall be inserted, namely: -

“(6A)(1) The Units which intend to renew the validity of Letter of Approval shall submit, before two months from the date of expiry of the Letter of Approval, the completed application in form F1 along with requisite document, to the Development Commissioner, duly signed by the proprietor or managing partner or if it is a company, by the Managing Director or the Director(s) or any person who has or have been duly authorised for this purpose by a resolution of the Board of Approval of Directors of the Company:

Provided that in case an application is not submitted before the said period of two months, such application shall be placed before the Approval Committee and the said Committee, if it is satisfied that there was sufficient cause for not filling the same before the said period, may direct for entertainment of such application.

(2) in case of non-compliance of the procedures specified in clause (1), the Letter of Approval shall not be considered for renewal.

(3) the Development Commissioner may renew the Letter of Approval for a period of five years or for a shorter period, in form F 2, based on the evaluation of the Unit as per sub-rule (6B):

(6B) The renewal of Letter of Approval shall be based on the evaluation of the following criteria, namely:-

(i) Export performance of the Unit in the last block *vis-a-vis* the initial export projection submitted by the Unit.

(ii) Projected employment with reference to actual employment generated.

- (iii) Instance of violation of applicable statutes related to the functioning of the Unit.
- (iv) Cases of default, if any, of statutory payments.
- (v) Undertaking of any activity not sanctioned or approved by the Development Commissioner.
- (vi) The decision of the Development Commissioner or Approval Committee in this regard shall be final and binding on the Unit except in cases where the Unit prefers an appeal before the Board of Approval, in accordance with rule 55.”.

12. In the said rules, in Chapter IV, for the Chapter heading, the following Chapter heading shall be substituted, namely:-

“TERMS AND CONDITIONS FOR GRANT OF PERMISSION TO OPERATE INCLUDING AVAILING EXEMPTIONS, DRAWBACKS AND CONCESSIONS”.

13. In the said rules, in rule 22, -

(i) in sub-rule (1), -

(a) after the words “Grant of”, the words “permission to operate including availing” shall be inserted;

(b) in clause (ii), after the word “contractor”, the words “including the sub-contractor” shall be inserted;

(c) in clause (iv),-

(A) in sub-clause (b), -

(a) after the words “on import or procurement” occurring at both the places, the words “of goods and services” shall be substituted;

(b) after the words “packing materials”, the words “and services” shall be inserted;

(B) in sub-clause (c), after the words “additional goods” the words “and services” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2), for the words “and such accounts”, the words “either in register form in hard copy or time stamped digital form, ” shall be substituted.

14. In the said rules, in rule 24, in sub-rule (1), -

(i) the words “and Duty Entitlement Passbook credit” shall be omitted;

(ii) in clause (a), -

(A) after the words “Bill of Export”, the words “or a similar equivalent document as in case of export specified under Goods and Services Tax laws,” shall be inserted;

(B) in the proviso, for the words and figures “Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1995”, the words and figures “Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, as amended from time to time” shall be substituted;

(iii) sub-clause (b) shall be omitted;

(iv) for sub-rule (2), the followings shall be substituted, namely:-

“(2)Where a Bill of Export has been filed under a claim of drawback or any other similar scheme laid down under the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, as amended from time to time, the Unit or Developer shall claim the same from the Specified Officer and in case the Unit or Developer does not intend to claim such benefit, a disclaimer to this effect shall be given to the Domestic Tariff Area supplier for claiming such benefits:

Provided that the aforesaid benefits may be claimed by Domestic Tariff Area supplier from their jurisdictional Goods and Services Tax or Central Excise Commissioner, as the case may be.

(3)Drawback or any other similar benefit under the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, as amended from time to time, against supply of goods by Domestic Tariff Area supplier shall be admissible where payments for the supply are made from the Foreign Currency Account of the Unit:

Provided that the reimbursement of duty in lieu of drawback or any other similar benefit scheme against supply of goods by Domestic Tariff Area supplier to Special Economic Zone developers shall be admissible even if payment is made in Indian Rupees and reimbursement of duty in lieu of drawback or any other similar benefit against supply of goods to Special Economic Zone developer

shall be made as per the procedure specified by the Central Government under the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, as amended from time to time.”.

15. In the said rules, in rule 25,-

(a) for the words, figures and brackets “the Central Sales Tax Act, 1956, the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and the Finance Act, 1994 (in respect of service tax)”, the words, figures and brackets “the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), State Goods and Services Tax Acts, Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992)” shall be substituted;

(b) in the proviso, for the words “such entrepreneur shall be liable”, the words “or stipulated Value addition, such entrepreneur shall also be liable” shall be substituted.

16. In the said rules, in rule 26, -

(i) in the fourth proviso, for the words “iron-ore” the words “or supply from Domestic Tariff Area, of any ore” shall be substituted;

(ii) after the fourth proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided also that Special Economic Zone Units shall be permitted to export prohibited items, if they import raw-material for the same, but each such case shall be placed before Board of Approval for approval:

Provided also that items which are prohibited for import, Special Economic Zone Units shall be permitted to import the same if they export goods made out of the same but each such case shall be placed before Board of Approval of Approval for approval.”

17. In the said rules, in rule 27, -

(i) in sub-rule (1), -

(a) after the words “Bio-technology Park Unit”, the words “ or warehouse”, shall be inserted;

(b) in the first proviso, after the word “contractors”, the words “including sub-contractors” shall be inserted;

(c) after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided also that for supply of Restricted Items by a Domestic Tariff Area Unit to Special Economic Zone Developer or Unit, the Domestic Tariff Area Unit may supply such items to a Special Economic Zone Developer or Unit for setting up infrastructure facility or for setting up of a Unit and it may also supply raw material to Special Economic Zone Unit for undertaking a manufacturing operation except refrigeration, cutting, polishing and blending, subject to the prior approval of Board of Approval:

Provided also that supplies from Domestic Tariff Area to Special Economic Zones shall attract export duty, in case, export duty is leviable on items attracting export duty.”;

(ii) in sub-rule (3), -

(a) after the words “The import of”, the words “and domestic procurement” shall be inserted ;

(b) for the words “Board and import” the words “Approval Committee and import and procurement of goods from Domestic Tariff Area” shall be substituted.

18. In the said rules, in rule 30, -

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(1) The Domestic Tariff Area supplier supplying goods or services to a Unit or Developer shall clear the goods or services, as in the case of zero-rated supply as per provisions of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) either under bond or legal undertaking or under any other refund procedure permitted under Goods and Services Tax laws or Central Excise law, or as duty or tax paid goods under claim of rebate, on the cover of documents laid down under the relevant Central Excise law for the purpose of export by a manufacturer or supplier.”;

(b) in sub-rule (2), -

(i) after the word “Goods”, the words “or services” shall be inserted;

(ii) for the words “Central Excise Duty”, the words “Goods and Services Tax or” shall be substituted;

(iii) for the letters and figures “ARE-I”, the words, brackets and figures “documents referred to in sub-rule (1) of

Rule 30” shall be substituted;

(c) in sub-rules (3), (4) and (7), for the letters and figures “ARE-I”, the words, brackets and figures “documents referred to in sub-rule (1) of Rule 30” shall be substituted;

(d) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

“(4) A copy of the document referred to in sub-rule (1) or copy of Bill of Export, as the case may be, with an endorsement by the authorised officer that goods have been admitted in full into the Special Economic Zone shall be treated as proof of export and a copy with such endorsement shall also be forwarded by the Unit or Developer to the Goods and Services Tax or Central Excise Officer having jurisdiction over the Domestic Tariff Area supplier within forty-five days failing which the Goods and Services Tax or Central Excise Officer, as the case may be, shall raise demand of tax or duty against the Domestic Tariff Area supplier;

(e) sub-rules (5), (8) and (9) shall be omitted;

(f) in sub-rule (11), after the words “drawbacks and” occurring at both the places, the words “any other such benefits or” shall be inserted.

19. In the said rules, rules 31 and 32 shall be omitted.

20. In the said rules, in rule 34, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

“Provided that in case a Unit is unable to utilise the goods or services imported or procured from Domestic Tariff Area, it may, -

(i) export the goods; or

(ii) sell the same to other Unit or to an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park or Bio Technology Park, without payment of duty; or

(iii) sell to an Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park or Bio Technology Park -

(a) on payment of Integrated Goods and Services Tax as applicable under section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017); and

(b) without payment of duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and additional duty, if any, leviable thereon under sub-sections (1), (3) and (5) of section 3 of the said Act and such sale shall also be made without payment of integrated tax and compensation cess leviable thereon under sub-sections (7) and (9) of section 3 of the said Act as per notification issued by the Department of Revenue and such exemptions, as applicable;

(iv) dispose of the same in the Domestic Tariff Area on payment of applicable duties or taxes on the basis of an import licence submitted by the Domestic Tariff Area buyer, wherever applicable.”.

21. In the said rules, in rule 37, in the marginal heading, the words “or services” shall be omitted.

22. In the said rules, in rule 41,-

(i) in sub-rule (1), in clause (h), after the words “Central Excise Officer”, the words “ or Central Tax Officer” shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) in case of sub-contracting abroad, the goods shall either be returned to the Unit or may be sold to buyers in that country or any third country.”.

23. In the said rules, in rule 42, -

(i) in sub-rule (1), in clause (ii), in sub-clause (b), for the words “Central Excise”, the words “Goods and Services Tax” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), -

(a) in clause (i), for the words “ with the Central Excise Department”, the words “under Goods and Services Tax” shall be substituted;

(b) in clause (v), the proviso shall be omitted;

(iii) in sub-rule (3), for the words “duty as if the said waste or scrap or remnants have been cleared by the Unit or may be destroyed at the sub-contractor’s premises in the presence of jurisdictional Central Excise Officer if the sub-contractor is a Central Excise registrant”, the words “an amount equal to the duty applicable on imports as if the said waste or scrap or remnants have been cleared by the Unit or may be destroyed at the sub-

contactor's premises in the presence of jurisdictional Goods and Services Tax Officer if the sub-contractor is a Goods and Services Tax registrant" shall be substituted.

24. In the said rules, in rule 43, after clause (d), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that, -

(i) only employees temporarily in-capacitated, employees travelling and off-site employees of Special Economic Zones may be permitted to work from home or from place outside the Special Economic Zone subject to the following conditions, namely:-

(a) the person shall be an employee of the Special Economic Zone Unit;

(b) the person shall carry out the work related to a project of the Special Economic Zone Unit;

(c) the Unit shall ensure export revenue of the resultant products or services to be accounted for by the Special Economic Zone Unit to which the employee is tagged and in no case the export of services, involving work from home, shall be made from outside the Special Economic Zone Unit.

(ii) Information Technology and Information Technology enabled Services Units in Domestic Tariff Area shall carry out their job-work in a Special Economic Zone Unit by following the procedure as laid down in item (i).

(iii) For the purpose of work from home, Special Economic Zone Unit shall provide laptop or desktop and secured connectivity viz., VPN, VDI etc. to establish a connection between the employee and the work related to the project of the Special Economic Zone Unit.

(iv) Once the employee ceases to be part of the project of Special Economic Zone Unit, the employee shall be untagged from the respective Special Economic Zone Unit and the Unit shall surrender the permanent Identity-Card issued in Form K to the Specified Officer as per sub-rule (2) of rule 70.

(v) For Special Economic Zone Units registered as Other Service Providers with Department of Telecommunication and availing the benefit of work from home, the laid down Other Service Providers guidelines issued by that Department as amended from time to time, shall be followed by the Special Economic Zone Units.”.

25. In the said rules, in rule 46, -

(i) in sub-rule (1), -

(a) in clause (a), in the proviso, for the words and letters “in respect of export value up to US\$ twenty five thousand or for export value as may be notified by the Reserve Bank of India, from time to time;”, the words “for export value as may be notified by the Reserve Bank of India, from time to time;” shall be substituted;

(b) in clause (c), after the words “self-certification by the Unit”, the words “, however, in case Merchandise Exports from India Scheme benefit is claimed then examination of export cargo shall be done as per examination norms set by Central Board of Indirect Taxes and Customs” shall be inserted;

(ii) in sub-rule 11, the word “pink” shall be omitted;

(iii) in sub-rule (12), -

(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i) the receiving Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park Unit or Software Technology Park Unit or Biotechnology Park Unit shall file Bill of Entry for home consumption, in quintuplicate along with invoice, copy of information as provided to jurisdictional customs officer under rule 5 of the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 and packing list with the Authorised Officer along with copy of the Letter of Approval and bonding licence;”;

(b) in clause (iii), for the words “submit the re-warehousing certificate”, the words, figures and letters “follow the procedure laid down by the Central Board of Indirect Taxes and Customs in terms of Customs Notification no. 44/ 2016-Customs dated 29<sup>th</sup> July, 2016 published in the Official Gazettee vide Notification S.O. 2566 (E) dated 29<sup>th</sup> July, 2016 and submit the documents specified therein” shall be substituted;

(iv) in sub-rule (13), -

(a) for the words “Central Excise”, wherever it occurs, the words “State Tax Officer or Central Tax Officer” shall be substituted;

(b) in clause (ii), for the words “warehousing Bill of Entry” the words “Bill of Entry for Home

Consumption” shall be substituted;

(c) in clause (iii), for the words “re-warehousing certificate”, the words, brackets, letters and figures “as per procedures laid down under clause (iii) of sub-rule (12) of rule 46” shall be substituted.

26. In the said rules, in rule 49, after the words “payment of duty”, the words “or Integrated Goods and Services Tax” shall be inserted.

27. In the said rules, in rule 50, after the word “duty”, the words “and Integrated Goods and Service Tax” shall be inserted.

28. In the said rules, for rule 53, the following rule shall be substituted, namely:-

“53. Net Foreign Exchange Earnings. — The Unit shall achieve Positive Net Foreign Exchange to be calculated cumulatively for a period of five years from the commencement of production according to the following formula, namely:—

$$\text{Positive Net Foreign Exchange} = A - B > 0$$

Where, —

A : is Free on Board of Approval value of exports, including exports to Nepal and Bhutan against freely convertible currency, by the Unit and the value of following supplies of their products, manufactured in the Special Economic Zone and the value of the services (excluding traded goods), namely:—

- (a) supply of goods against Advance Authorisation or Advance Authorisation for annual requirement or Duty Free Import Authorisation under the Duty Exemption or Remission scheme under the Foreign Trade Policy;
- (b) supply of capital goods to holders of licence under the Export Promotion Capital Goods Scheme under the Foreign Trade Policy;
- (c) supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies or funds as notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, from time to time, under International Competitive Bidding in accordance with the procedures of those agencies or funds, where the legal agreements provide for tender evaluation without including the customs duty;
- (d) supply of goods to any project or for any purpose in respect of which the Ministry of Finance notifies from time to time, permitting import of such goods at zero customs duty subject to conditions specified in the above said notification provided the supply is made under procedure of International Competitive Bidding;
- (e) supply of goods to United Nations or International Organisations for their official use or supplied to the projects financed by the said United Nations or an International Organisation approved by Government of India and the list of such organisations and conditions applicable to such supplies is notified by Ministry of Finance from time to time;
- (f) supply of goods to nuclear power projects provided they are as per the conditions stipulated in Foreign Trade Policy;
- (g) supply against special entitlements of duty free import of goods under the Foreign Trade Policy;
- (h) export of services by services Units including services rendered within Special Economic Zone or such services rendered in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by the Reserve Bank of India;
- (i) supply of Information Technology Agreement items and notified zero duty telecom or electronic items, namely, Colour Display Tubes for monitors and Deflection components for colour monitors or any other items as may be notified by the Central Government;
- (j) supply to other Units and Developers in the same or other Special Economic Zone or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit provided that such goods and services are permissible for import or procurement by such Units and Developers;
- (k) supply of goods against free foreign exchange by a Free Trade and Warehousing Zone Unit.

*Explanation.* - For removal of doubts, it is hereby clarified that the supplies under clause (j) shall be against procurement certificate, as applicable and the supplies under clauses (d) to (g) shall be as per the terms and conditions of the respective duty exemption as notified by the Central Government, in the Ministry of Finance.



B : consists of sum of the following—

(a) sum total of the Cost Insurance and Freight value of all imported or indigenous inputs used for authorised operations during the relevant period and the Cost Insurance and Freight value of all imported capital goods including goods purchased on high seas basis even though paid for in Indian Rupees and the value of all payments made in foreign exchange by way of export commission, royalty, fees, dividends, interest on external commercial borrowings during the first five year period or any other charges;

(b) value of goods obtained from other Unit or Export Oriented Unit or Electronic Hardware Technology Park or Software Technology Park Unit or Bio-technology Park Unit or from bonded warehouses or procured from international exhibitions held in India or precious metals procured from nominated agencies;

(c) the Cost Insurance Freight value of the goods and services, including pro-rata Cost Insurance Freight of capital goods, imported duty free or leased from a leasing company or received free of cost or on loan basis or on transfer for the period they remain with the Unit.

*Explanation.* - For the purposes of clause (a), the expression “inputs” mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials;

(d) for annual calculation of Net Foreign Exchange, value of imported capital goods and lump sum payment of foreign technical know-how fee shall be amortised at the rate of ten per cent. every year from the first year to the tenth year;

C: Gems and Jewellery Units shall achieve minimum Value Addition as laid down in prevailing Foreign Trade Policy or Hand Book of Procedures:

Provided that the Nominated Agencies working as a service Unit for precious metals supply within Special Economic Zone shall be subjected to the requirement of positive Net Foreign Exchange only; and

D: For Gems and Jewellery, the minimum Value Addition shall be in terms of prevailing Foreign Trade Policy or Hand Book of Procedures and it shall be calculated as under:-

$$VA = \frac{A-B}{B} \times 100$$

Where, -

A = Free on Board value of the export realised or Freight on Road and Rails value of supply received;

B = Value of inputs (including domestically procured) such as gold or silver or platinum content in export product plus admissible wastage along with value of other items, such as gemstone etc. wherever gold has been obtained on loan basis, value shall also include interest paid in free foreign exchange to foreign supplies.”;

Provided that where a Unit is unable to achieve Net Foreign Exchange due to adverse market conditions or any ground of genuine hardship having adverse impact on functioning of the Unit, the five years block period for calculation of Net Foreign Exchange earnings may be extended by the Board of Approval for a further period of upto one year, on a case to case basis.”.

29. In the said rules, in rule 54, in sub-rule (2), after the words “Net Foreign Exchange Earning,” the words and figures “or stipulated Value Addition as specified in rule 53” shall be inserted;

30. In the said rules, in rule 74, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(6) The Unit opting out from Special Economic Zone shall execute a legal undertaking in Form L.”.

31. In the said rules, in rule 74A, in clause (i), after the words “lease of land”, the words “or Standard Design Factory” shall be inserted.

32. In the said rules, in rule 75, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that all the consignments of Special Economic Zone shall be subject to a risk management system.”.

33. In the said rules, after the rule 79, the following rule shall be inserted, namely:-

“80 If an Special Economic Zone Unit, in case of *bona fide* default, fails to achieve the minimum specified Net Foreign Exchange or specified value addition, then such shortfall may be regularised after the Unit deposits an amount equal to one per cent. of shortfall in Free on Board of Approval Value.”.

34. In the said rules, after Form F, the following Forms shall be inserted, namely:-

**“FORM F1**

**LETTER OF APPROVAL RENEWAL APPLICATION FORM**

(See rule 19(6A)(1))

**Application for renewal of Letter of Approval for the ..... block of five years under sub-rule (6A) of rule 19**  
**PART I**

Sl. No.	Particulars	
1.	Name of Unit and full address in Special Economic Zone	
2.	Full address of Registered Office	
3.	Telephone/Fax Nos:	
4.	Permanent E-Mail address	
5.	Original Letter of Approval No. and Date	
6.	Date of renewal of Letter of Approval, if any	dd/mm/yyyy
7.	Date of commencement of production	dd/mm/yyyy
8.	Date of expiry of Letter of Approval	dd/mm/yyyy
9.	ID and date of application for renewal of LOA filed in SEZonline-ndml.com	
10.	Income Tax Permanent Account Number	
11.	Constitution of the Application Firm (Tick the appropriate entry)	Public Ltd/ Private Ltd/ Partnership/ Proprietorship/ Others

**PART II**

Activity of Unit		Existing	Proposed for the renewed period
1.Item of Manufacture/service activity (including by product/co-products)			
2.Investment in Capital Goods (in Rs. Lakhs)	Indigenous		
	Import		
3.Investment in Raw Materials (in Rs. Lakhs)	Indigenous		
	Import		
4.Employment	Men		
	Women		

**FOREX Balance Sheet for the current block (Rs. in Lakhs)**

Sl. No.	Items	1 <sup>st</sup>	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	4 <sup>th</sup>	5 <sup>th</sup>	Total
1.	Free on Board value of Exports in first 5 years						
2.	*Foreign Exchange Outgo on for the first five years						
3.	Net Foreign Exchange earnings for the first five years (1-2)						

**FOREX Balance Sheet proposed for next block (Rs. in Lakhs)**

Sl. No.	Items	1 <sup>st</sup>	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	4 <sup>th</sup>	5 <sup>th</sup>	Total
1.	Free on Board value of Exports in first 5 years						
2.	*Foreign Exchange Outgo on for the first five years						
3.	Net Foreign Exchange earnings for the first five years (1-2)						

\*Foreign Exchange outgo shall include Cost, Insurance and Freight value of import of machinery, raw material, components, consumables, spares, packing material and amount of repatriation of dividends and profits, royalty, lump sum knowhow fee, design and drawing fee, payment to foreign technicians, payments on training of Indian technicians abroad, commission on export, interest on external commercial borrowings, interest on deferred payment credit and other payments.

Place:

Date:

Signature of the Applicant

Name in Block Letters

Designation

Telephone No:

Mobile No:

E-mail Address:

**FORM F 2****FORMAT FOR RENEWAL OF LETTER OF APPROVAL FOR UNIT**

(See rule 19 (6A)(3))

OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER, ..... SPECIAL ECONOMIC ZONE DEPARTMENT OF COMMERCE, GOVERNMENT OF INDIA

F No.

Dated:

To

M/s Name and Address of the unit

**Subject: Renewal of Letter of Approval issued to M/s ....., a unit in ..... Special Economic Zone for continued Operation under the SEZ Scheme- reg.**

Sirs,

With reference to your application No..... dated ....., the validity of Letter of Approval No. ....dated ..... issued to M/s ..... is hereby extended for .....block of 5 years i.e. from **dd.mm.yyyy** to **dd.mm.yyyy** for undertaking authorized operations, namely, ..... in ..... Special Economic Zone, in .....state. All other terms and conditions stipulated in the original Letter of Approval shall remain unchanged. Your application for renewal of Letter of Approval has been considered on the basis of projections given therein and the same has been given below.

Sl. No.	Items	1 <sup>st</sup>	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	4 <sup>th</sup>	5 <sup>th</sup>	Total
1.	Free on Board value of Exports for 5 years						
2.	*Foreign Exchange Outgo on for the first five years						
3.	Net Foreign Exchange earnings for five years (1-2)						

2. You are required to execute a fresh Bond Cum Legal Undertaking with this office in respect of the extended period.

3. Please keep this letter attached with the original Letter of Approval cited above and acknowledge the receipt.

Yours faithfully

**(Development Commissioner)**

..... Special Economic Zone

Copy to:

1. The Specified Officer, ..... Special Economic Zone.
2. Database Manager.

\*Foreign Exchange outgo shall include Cost, Insurance and Freight value of import of machinery, raw material, components, consumables, spares, packing materials and amount of repatriation of dividends and profits, royalty, lump sum knowhow fee, design and drawing fee, payment to foreign technicians, payments on training of Indian technicians abroad, commission on export, interest on external commercial borrowings, interest on deferred payment credit and any other payments.”.

35. In the said rules, after Form K, the following Form shall be inserted, namely:-

**“FORM L**

**FORM OF LEGAL UNDERTAKING FOR EXIT OF THE UNIT FROM SPECIAL ECONOMIC ZONE SCHEME**

**(See rule 74(6))**

M/s \_\_\_\_\_ were granted Letter of Approval/Letter of Permission No. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_ for setting up a Special Economic Zone Unit \_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_ for the manufacture and export of \_\_\_\_\_ subject inter-alia to the condition that they would achieve positive Net Foreign Exchange on cumulative basis as per provisions of Special Economic Zone Scheme.

The unit filed a legal undertaking as per rule 22 of Special Economic Zone Rules, 2006 in Form H of Special Economic Zone Scheme on \_\_\_\_\_ with the President of India through the Development Commissioner, \_\_\_\_\_ Special Economic Zone for achieving the above mentioned commitments.

As against the above commitments, the unit's actual performance has been as under:-

Year	Import (Rs. In Lakh)		Export (Rs. In Lakh)
	Capital Goods	Raw Materials	

The unit applied for exit from the Special Economic Zone Scheme which was subject inter-alia to the condition that penalty imposed by appropriate Authority under the Foreign Trade (Development & Regulations) Act, 1992 (22 of 1992) for non-fulfilment of the conditions of approvals would be paid.

In view of the approval for exit, I/We ..... hereby undertake as under:

- (i) That I/We \_\_\_\_\_ shall pay whatever penalties are imposed by the Development Commissioner under Foreign Trade (Development & Regulations) Act, 1992 (22 of 1992) for non-fulfilment of the terms and conditions of Letter of Approval/Letter of Permission.
- (ii) That I/We \_\_\_\_\_ shall pay tax/duty alongwith interest, if any, if found availed for the unit mentioned above, shall be paid to any statutory agency without any demur or protest within the time frame specified in this regard.
- (iii) That I/We \_\_\_\_\_ shall adhere to the mode of payment of penalties, if any, and time frame in which penalties are required to be paid to the Development Commissioner without any demur or protest.

(Full and expanded description  
of the unit with full address.)

IN WITNESS WHEREOF the unit hereto has duly executed this agreement on \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ (Year) signed, sealed and delivered by the unit in the presence of:

1. Name \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

2. Name \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Accepted by me on behalf of the President of India.  
Dy./Jt. Development Commissioner, \_\_\_\_\_ Special Economic Zone.”.

[F. No. K-43013(12)/1/2017-O/o-US(GS)-DOC]

BIDYUT BEHARI SWAIN, Addl. Secy.

**Note :-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 54 (E), dated the 10<sup>th</sup> February, 2006 and last amended *vide* G.S.R. 585 (E), dated the 13<sup>th</sup> June, 2017.